कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

पत्र संख्या 1590 / मु0वि0प्रा0 / –मुरादाबाद (वाद सं0 61 / 17) दिनांक: 16/ 06 / 2017

ग्रुप हाऊसिंग (रॉयल ग्रीनस) मैसर्स ओमगा डेवकोन प्राइवेट लि0
स्थल– खसरा नं0– 71, 72, 73, 74,
ग्राम मनोहरपुर, दिल्ली रोड़,
मुरादाबाद ।

आपके द्वारा प्रशमन हेतु मानचित्र जिसकी एक प्रति आदेश के साथ संलग्न है । निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित प्रशमन स्वीकृति करते हुये निर्गत किया जाता है ।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका मु0वि0प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी ।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
5. दरवाजे व खिड़कियॉ इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो ।
6. बिजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा ।
7. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।
8. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एंव भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वय प्रार्थी पर होगी ।
9. सड़क पर अथवा वैक लैन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
10. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एंव निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर की करना होगा ।
11. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एंव भवन निर्माण सम्बन्धी समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए की किया जायेगा।
12. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम को किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
13. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर आप कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगें । प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नही लाये लायेगें ।
14. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय आपकी होगी।
15. भविश्य में यदि भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मानचित्र की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
16. समस्त निर्माण कार्य एन0बी0सी0 के अनुसार पूर्ण करना होगा ।
17. वृक्षारोपण हेतु 85 पेड़ रोपित करने होगें ।
18. पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उपयोग नही किया जायेगा ।
19. प्रदूषण / पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।
20. जलापूर्ति– पानी की व्यवस्था ट्युब वैल तथा स्टोरेज टैंक द्वारा न्यूनतम मापक 165 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी ।
21. ड्रेनेज–ड्रेनेज का निस्तारण मार्ग पर उपलब्ध नाले में करना होगा ।
22. विद्युत आपूर्ति– प्रस्तावित मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0, कार्पोरेशन लि0 की सहमति प्राप्त करनी होगी ।
23. सोलन वाटर हीटिंग–सिस्टम–सोलन वाटर हीटिंग सिस्टम हेतु भवन के डिजाईन में पाईपों का प्राविधान एवं छत पर संयत्र उपयुक्त स्थान पर लगाया जायेगा ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

16/06/17
जोन प्रभारी,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।